ओमप्रकाश बनाम सरपंच ग्राम पंचायत धोरीमना
2025 / 61
निर्णय दिनांकः—13.06.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना—बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

अपील संख्याः—02 / 2025 दर्ज तिथिः—06.03.2025

1. ओमप्रकाश पुत्र वागाराम
2. वाधुदेवी पत्नी वीरमाराम
3. सुरेश कुमार पुत्र भागीरथराम
4. इन्दू विश्नोई पत्नी रघुनाथराम
   जाति विश्नोई निवासी शिवमंदिर, नेडीनाडी, तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर
   ....अपीलार्थी

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत धोरीमना
2. भोमाराम पुत्र भुपाराम
   जाति मेघवाल, निवासी धोरीमना, तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर
3. हेमाराम पुत्र आईदानराम
   जाति जाट निवासी पाबूबेरा,भीमथल तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर
   ....असल प्रत्यर्थी
4. तहसीलदार धोरीमना जिला बाड़मेर
   ....तकमीली प्रत्यर्थी

उपस्थित अधिवक्ता
अपीलार्थीः—श्री ओमप्रकाश विश्नोई
प्रत्यर्थीः—एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—75
राज.भू—राजस्वअधिनियम—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—13.06.2025

1. आज यह पत्रावली अपील अन्तर्गत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। अपील में सर्वप्रथम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों में निहित विवाद की मुख्य विषयवस्तु का [illegible] इस प्रकार से हैः—
   - कि उतरदाता संख्या 2 भोमा पुत्र [illegible] खातेदारी खेत खसरा संख्या 786 / 10 रकबा 0–[illegible] बीघा मौजा [illegible] धोरीमना [illegible] कि तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:05:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

गुड़ामालानी के आदेश दिनांक 06.12.2000 को आवासीय सम्परिवर्तन करवाया गया था।

- कि उत्तरदाता संख्या 2 भोमा पुत्र भुपा की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 786/10 रकबा 0–08 बीघा यानि 0.0647 है0 किस्म गै.मु.आवासीय की है जो उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा अपीलान्ट संख्या 1 के पिता अपीलान्ट संख्या 3 के दादा वागाराम पुत्र फूसाराम को जरिये बेचाननामा दिनांक 22.02.2019 व 01.01.2001 को रकबा 0–03 बीघा बेचान कर कब्जा सुपूर्द कर दिया।
- उक्त बेचाननाम अनुसार अपीलान्ट द्वारा बेचाननामा की प्रति हल्का पटवारी को सुपुर्द कर नामान्तकरण पारित करने का निवेदन किया गया। जिस पर हल्का पटवारी द्वारा उक्त बेचाननामा के अनुसार नामान्तकरण भर कर ग्राम पंचायत में पेश कर स्वीकृत करवाकर प्रति देने का आश्वासन दिया जिस पर अपीलान्ट अपने नांम से नामान्तकरण पारित होने का इन्तजार करता रहा।
- वागाराम पुत्र फूसाराम ने अपने विधिक वारिसान अपीलान्टगण को 3 अलग–अलग बेचाननामा द्वारा दिनांक 20.09.2021 को क्रम संख्या 394, 395, 396 के द्वारा 14 गुणा 61 के तीन भूखण्ड बनाते हुए बेचान कर दिये तथा बेचाननामा के अनुसार तथा वागाराम के फौत होने से उक्त अपीलान्टगण उक्त भुखण्ड के विधिक वारिश व मालिक है।
- कि उतरदाता संख्या 2 ने उतरदाता संख्या 3 से मिलकर धोखाधड़ी पूर्वक दिनांक 28.11.2023 को एक लिखित बेचाणनामा इस आशय को निष्पादित किया कि तहसील धोरीमना के पटवार मण्डल धोरीमना के खेत खसरा संख्या 786/10 रकबा 0–08 बीघा किस्म गै.मु. आवासीय की मेरी स्वयं की खातेदारी भूमि का भुखण्ड आया हुआ है जिसमें मेरा सम्पूर्ण हिस्सा आया हुआ है जबकि उक्त आराजी में उतरदाता संख्या 2 का मात्र 0–05 बीघा भूमि ही शेष थी तथा अपीलान्टगण की 0–03 बीघा भूमि हड़पने के उद्देश्य से एक पंजिबद्व बेचाननामा पंजियन क्रमांक 202303110101624 दिनांक 28.11.2023 को हल्का पटवारी को पेश किया जबकि हल्का पटवारी के समक्ष उक्त भूमि का अपीलान्ट द्वारा वर्ष 2001 व 2019 का बेचाणनामा पेश कर रखा था इसके बावजूद भी हल्का पटवारी द्वारा गलत तरीके से नियम विरूध कपटपूर्ण विलेख के आधार पर उक्त आलोच्य नामान्तकरण संख्या 2687 दिनांक 05.01.2024 को भर कर पास किया गया जो अपास्त योग्य है।
- कि अपीलान्ट द्वारा उक्त विवादग्रस्त आराजी के वर्ष 2001 में आवासीय संपरिवर्तन होने के पश्चात वर्ष 2001 व 2019 में तहसीलदार गुड़ामालानी व धोरीमना के समक्ष पंजिबद्व बेचाणनाम निष्पादित करवाया परन्तु उतरदाता संख्या 3 के पक्ष में निष्पादित बेचाणनामा पश्चावृति होने से अवैध व अनुचित होने के आधार पर पारित नामान्तकरण अपास्त योग्य है।
- कि राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के राजस्थान भू राजस्व के नियम 2007 के संदर्भ में जारी [illegible]/4 दिनांक 16.08.2012 के मार्ग दर्शन में खातेदारी भूमि [illegible] अन्तरण होने के पश्चात भूमि खातेदारी में से कम [illegible] नामान्तकरण खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:05:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

भूमि तक ही है। विक्रय,दान,वरियत व बेचान का नामान्तकरण दर्ज नहीं होगा।

2. अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रत्यर्थी विधिवत तामील के बावजूद अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रकरण में वकील अपीलार्थीगण की बहस सुनी गई। मैनें अपीलार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रतीत होता है कि उतरदाता संख्या 2 द्वारा जरिये पंजिबध बेचाननामा दिनांक 22.02.2019 व 01.01.2021 के ग्राम पंचायत धोरीमना के खेत खसरा संख्या 786/10 रकबा 0–08 बीघा किस्म गै.मु. आवासीय में से रकबा 0.03 बीघा अपीलान्ट के पिता वागा पुत्र फूसा को बेचान की गई जिसे वागा ने अपने विधिक वारिशान को 3 भूखण्डों में दान की गई। इसी प्रकार उतरदाता संख्या 02 ने ग्राम पंचायत धोरीमना के खेत खसरा संख्या 786/10 रकबा 0–08 बीघा किस्म गै.मु. आवासीय के सम्पूर्ण रकबे को स्वयं का बताते हुए जरिये पंजीबध बेचाननामा संख्या 20230311010624 दिनांक 28.11.2023 को हेमाराम पुत्र आईदानराम को बेचान कर दी जिसका ग्राम पंचायत धोरीमना ने नामान्तकरण संख्या 2687 दिनांक 05.01.2024 को जांच कर पारित कर दिया जो विधि विरूध प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक से हमारा यह विनम्र अभीमत है कि अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर मौजा धोरीमना पटवार हल्का धोरीमना तहसील धोरीमना में अवस्थित ग्राम पंचायत धोरीमना के खेत खसरा संख्या 786/10 रकबा 0–08 बीघा किस्म गै.मु. आवासीय में उतरदाता संख्या 2 द्वारा हेमाराम पुत्र आईदानराम जाति जाट निवासी पाबूबेरा के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 2687 दिनांक 05.01.2024 को अपास्त कर तहसीलदार धोरीमना को पुनः जांच कर पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित व विधि संगत होगा। इस प्रकार उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

अपीलार्थी की अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 2687 दिनांक 05.01.2024 जो ग्राम पंचायत धोरीमना द्वारा पारित किये जाने के विरूद्ध अपील भलीभांती साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार की जाती है। तथा ग्राम पंचायत धोरीमना के खेत खसरा संख्या 786/10 रकबा 0–08 बीघा यानि 0.0647 है0 किस्म गै.मु. आवासीय *में ग्राम पंचायत धोरीमना द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 2687 दिनांक 05.01.2024 को की गई कार्यवाही अपास्त की जाती है। तहसीलदार धोरीमना को प्रकरण पुनः प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त नामान्तकरण अपास्त करने के बाद अपीलान्ट व अन्य के नामान्तरकरण*

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:05:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

ओमप्रकाश बनाम सरपंच ग्राम पंचायत धोरीमना
2025/61
निर्णय दिनांकः—13.06.2025

की जांच कर नियमानुसार विधिसमत अग्रिम कार्यवाही करावें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 13.06.2025 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(भागीरथराम आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:05:08 IST
Reason: SelfAttested